न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– श्री जयसिंह आर.ए.एस

मि0न0 – 136/2020(2020/00164)

अनवान : –

1. इन्द्रसेन पुत्र भगतराम जाति नाई निवासी खचवाना तहसील भादरा।

वादी

बनाम

1. भगतराम पुत्र मल्लाराम जाति नाई निवासी खचवाना तहसील भादरा।
2. रमेश पुत्र भगतराम जाति नाई निवासी खचवाना तहसील भादरा।
3. शारदा पुत्री भगतराम जाति नाई निवासी खचवाना तहसील भादरा।
4. सुमन पुत्री भगतराम जाति नाई निवासी खचवाना तहसील भादरा।
5. आईसीआईसीआई बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा भादरा।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– श्री रामजस गढ़वाल वादी
श्री राजेन्द्र सहारण प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांकः 01/12/2020

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 4 डीपीएन के खाता संख्या 60/63 के मु0 न0 23 के किला न0 21 ता 24, मु0 न0 32 के किला न0 1 ता 5, 10, 11 इस प्रकार कुल किता 11 की 2.783 हैक्टेयर व चक 5 डीपीएन के खाता संख्या 64/58 के मु0 न0 31 के किला न0 3 ता 8, 13 ता 18, 23 ता 25 इस प्रकार कुल किता 15 की 3.795 हैक्टेयर कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 भगतराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दु है तथा हिन्दु उतराधिकार अधिनियम एवं हिन्दु मिताक्षरा पद्धति से शासित होते है। वाद भूमि पहले वादी के दादा मल्लाराम की खातेदारी हुआ करती थी। मल्लाराम के देहान्त होने पर वादभूमि जो प्रतिवादी भगतराम के नाम से दर्ज है वह वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को बहिस्सा बराबर के अनुसार विरासतन मिली थी। परन्तु प्रतिवादी भगतराम कर्ता खान दान होने के चलते विरासतन इन्तकाल तन्हा प्रतिवादी भगतराम ने अपने नाम से दर्ज करवा लिया। इस प्रकार वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की दादालाई पैत्रक भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक व अधिकार निहित है। वादभूमि तन्हा प्रतिवादी भगतराम के नाम दर्ज होने से वादी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.10 16:43:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला–हनुमानगढ़)

उक्त वाद भूमि हिन्दु खानदान की जद्दी जायदाद है जो वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 भगतराम को वादी के दादा मल्लाराम से विरासतन प्राप्त हुई है। जो चक 4 डीपीएन जमाबन्दी सम्वत 2029–38 के खाता संख्या 25 एवं चक 5 डीपीएन जमाबन्दी सम्वत 2029–38 के खाता संख्या 25 से साफ रोशन है इस प्रकार उक्त वाद भूमि में वादी का जन्म से हक व हिस्सा है जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 प्रत्येक का उक्त वाद भूमि में बहिस्सा हक व अधिकार निहित है।

उक्त वाद भूमि बाबत सभी पक्षकारानों में पारिवारिक समझौता किया हुआ है। प्रतिवादिया संख्या 3 व 4 वादी की बहिन है, जिन्होंने अपना हक व हिस्सा की भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के हक में हिस्सा बराबर तर्क किया हुआ है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 4 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया।

साक्ष्य वादी में वादी इन्द्रसेन पुत्र भगतराम जाति नाई निवासी खचवाना के साक्ष्य करवाये गये। साक्ष्यवादी में जमाबन्दी चक 4 डीपीएन के खाता संख्या 60/63 प्रदर्श 1, जमाबन्दी चक 5 डीपीएन खाता संख्या 64/58 प्रदर्श 2, जमाबन्दी खतौनी चक 4 डीपीएन सम्वत 2029–38 खाता संख्या 25 प्रदर्श 3, जमाबन्दी खतौनी चक 5 डीपीएन सम्वत 2029–38 खाता संख्या 25 प्रदर्श 4, नामान्तरकरण रजिस्टर चक 5 डीपीएन प्रदर्श 5, नामान्तरकरण रजिस्टर चक 4 डीपीएन प्रदर्श 6, सरपंच ग्राम पंचायत खचवाना के द्वारा जारी सदस्यता प्रमाण पत्र प्रदर्श 7 प्रदर्शित करवायें।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुए वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद वादी ने रोही मौजा चक 4 डीपीएन के खाता संख्या 60/63 के मु0 न0 23 के किला न0 21 ता 24, मु0 न0 32 के किला न0 1 ता 5, 10, 11 इस प्रकार कुल [illegible] की 2.783 हैक्टेयर व चक 5 डीपीएन के खाता संख्या 64/58 के मु0 न0 31 के किला न0 3 ता 8, 13 ता 18, 23 ता 25 इस प्रकार कुल किता 15 की 3.795 हैक्टेयर कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 भगतराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसे राजीनामा में स्वीकार किया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.10 16:43:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला–हनुमानगढ़)

अत : वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 4 डीपीएन के खाता संख्या 60/63 के मु0 न0 23 के किला न0 21 ता 24, मु0 न0 32 के किला न0 1 ता 5, 10, 11 इस प्रकार कुल किता 11 की 2.783 हैक्टेयर व चक 5 डीपीएन के खाता संख्या 64/58 के मु0 न0 31 के किला न0 3 ता 8, 13 ता 18, 23 ता 25 इस प्रकार कुल किता 15 की 3.795 हैक्टेयर कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 भगतराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। **उसमें वादी संख्या 1 इन्द्रसैन एवं प्रतिवादी सं 1 भगतराम व प्रतिवादी संख्या 2 रमेश को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।** प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के द्वारा त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 01/12/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जयसिंह)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला–हनुमानगढ़)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.10 16:43:55 IST
Reason: SelfAttested